GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 312
TO BE ANSWERED ON 3rd FEBRUARY, 2023

SALARY OF NURSES

312: ADV. DEAN KURIAKOSE:

Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY WELFARE** be pleased to state:

(a) the details of average salary paid to nurses working in the private sector in the country, State/UT-wise;

(b) whether the Government proposes to regulate the salaries of nurses so as to ensure that a decent and respectable living wage is paid to the nurses working in the private sector and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(c) whether the Government proposes to bring in legislation to ensure job security and reasonable working hours for nurses working in the private sector; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Dr. BHARATI PRAVIN PAWAR)

(a) to (d) A Committee was constituted in February 2016, as per the directions of Hon'ble Supreme Court to look into the issues of pay and working conditions of the nurses working in private hospitals/institutes. The recommendations of the Committee were forwarded to all States/UTs in this regard and some States/UTs have issued the guidelines.

****

https://www.govtstaff.com

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 312
03 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

परिचारिकाओं को वेतन

312. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निजी क्षेत्र में कार्यरत परिचारिकाओं को दिए जाने वाले औसत वेतन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का विचार परिचारिकाओं के वेतन को विनियमित करने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निजी क्षेत्र में काम करने वाली परिचारिकाओं को उचित और सम्मानजनक जीवन-यापन वेतन का भुगतान किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार का निजी क्षेत्र में काम करने वाली परिचारिकाओं के लिए नौकरी की सुरक्षा और उचित काम के घंटे सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निजी अस्पतालों/संस्थानों में कार्यरत नर्सों के वेतन और कार्य दशाओं के मुद्दों की जांच करने के लिए फरवरी, 2018 में एक समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिशें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कानून/दिशानिर्देश बनाने के लिए अग्रेषित की गई थीं।

******

https://www.govtstaff.com